प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2016–17 / 16 / 2032 दिनांकः 23-6-16

विषयः–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की दिनांक 15.06.2016 को आहूत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।

महोदय / महोदया,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की दिनांक 15.06.2016 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक का कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही कराकर 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा इसकी एक प्रति महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः बैठक का कार्यवृत्त।

भवदीय,

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2016–17 / 16 / तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0,आई–एच0ए0टी0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रधानाचार्य आर0एफ0पी0टी0सी0, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त महाप्रबंधक, वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त मण्डलीय / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
महाप्रबंधक (एम0 एण्ड ई0)

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2016–17 / 16 / दिनांकः 22-6-16

विषयः–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की दिनांक 15.06.2016 को आहूत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।

महोदय / महोदया,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की दिनांक 15.06.2016 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक का कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही कराकर 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा इसकी एक प्रति महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः बैठक का कार्यवृत्त।

भवदीय,

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2016–17 / 16 / 2103-2-11 तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0,आई–एच0ए0टी0, लखऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रधानाचार्य आर0एफ0पी0टी0सी0, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त महाप्रबंधक, वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरुष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त मण्डलीय / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
महाप्रबंधक (एम0 एण्ड ई0)

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की वीडियो कान्फैंसिंग के माध्यम से समीक्षा दिनॉक 15 जून 2016 का कार्यवृत्त।

दिनांक 15 जून 2016 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की गई। वीडियो कांफ्रेसिंग में राज्य स्तर से सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, मिशन निदेशक/अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, अधिशासी निदेशक–टी0एस0यू0, उ0प्र0, महानिदेशक–परिवार कल्याण, वरिष्ठ सलाहकार–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डा0 बी0एस0अरोड़ा एवं डा0 विजय लक्ष्मी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0एच0एम0, सिफ्सा के अधिकारियों के साथ–साथ प्रदेश के समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद स्तर के अधिकारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत है–

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बैठक का प्रारम्भ किया गया।

चर्चा के बिन्दु एवं दिये गये निर्देश –

1. मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी इटावा, गाजियाबाद, बाराबंकी, महोबा, बिजनौर, मिर्जापुर, फैजाबाद, बहराईच, मेरठ, हाथरस, कासगंज, आजमगढ़, वाराणसी, प्रतापगढ़ और अम्बेडकरनगर के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष माह मई 2016 तक व्यय अत्यंत कम किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। प्रमुख सचिव द्वारा जनपद बाराबंकी के मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद में व्यय न करने के जिम्मेदार अधिकारियों की रिपोर्ट शासन को तीन दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
   (कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी)
2. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0,उ0प्र0 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में समस्त इकाईयों में तैनात समस्त संविदाकर्मियों का मासिक मानदेय प्रतिमाह पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से संविदाकर्मियों के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करें।
   (कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,उ0प्र0)
3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत में कमिटेड कराई गई धनराशि के सापेक्ष माह अप्रैल एवं मई 2016 तक व्यय न करने पर जनपद झांसी, फैजाबाद, औरैया, फतेहपुर, हाथरस, बागपत एवं महोबा के मुख्य चिकित्साधिकारियों से अप्रसन्नता व्यक्त की। प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि कमिटेड धनराशि का व्यय माह अप्रैल एवं मई 2016 में क्यों नही किया गया, का स्पष्टीकरण भेजना सुनिश्चित करें। मिशन निदेशक द्वारा प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि गतिविधिवार कमिटेड कराई गई धनराशि का व्यय शासकीय नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।
   (कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)
4. प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहॉपुर को निर्देशित किया गया कि जनपद शाहजहॉपुर में एन0एच0एम0 के खाते से अपने निजी खाते में विभिन्न मदों की धनराशि को डालने वाले चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बण्डा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए चार्जशीट एक सप्ताह में शासन को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही जनपद में अनेकों चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा जननी सुरक्षा योजना के प्रशासनिक मद में अधिक व्यय करने वाले चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्साधिकारियों के विरूद्व भी चार्जशीट तैयार कर एक

सप्ताह में शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। मिशन निदेशक द्वारा जिला लेखा प्रबंधक एवं ब्लाक लेखा प्रबंधक का उक्त प्रकरण में स्पष्टीकरण लिये जाने के निर्देश वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0 को दिये।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर)

5. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के चार त्रैमासिक कांकरेण्ट आडिट की रिपोर्ट दिनॉक 30 जून 2016 तक एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0)

6. मिशन निदेशक द्वारा जनपद बाराबंकी, बस्ती, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, लखीमपुरखीरी, महाराजगंज, सीतापुर, ललितपुर, शाहजहाँपुर, कौशाम्बी, बिजनौर, जौनपुर, बलिया, सोनभद्र एवं आजमगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कांकरेण्ट आडिटर का चयन पुनः टेण्डर प्रकिया के माध्यम से करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)

7. अपर मिशन निदेशक द्वारा अप्रैल 2016 एवं मई 2016 (वित्तीय वर्ष 2016–17) में आधुनिक गर्भनिरोधक तकनीकों के प्रयोग में प्रदेश में न्यूनतम उपलब्धि वाले जनपदों श्रावस्ती, कौशाम्बी, औरैया, सिद्वार्थनगर, फतेहपुर, गाजीपुर, हाथरस, इटावा, कानपुरनगर एवं बलिया के मुख्य चिकित्साधिकारियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम में सुधार लाने हेतु चेतावनी दी गई। अपर मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रतिमाह प्रत्येक ब्लाक में ए0एन0एम0 / आशाओं की बैठक में स्वयं भाग लेकर परिवार नियोजन कार्यक्रम में सुधार लाना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)**

8. अपर मिशन निदेशक द्वारा जनपद मैनपुरी, सुलतानपुर, गोरखपुर, कानपुर, महोबा, श्रावस्ती, बहराईच, सोनभद्र, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मउ, मथुरा एवं चन्दौली के मुख्य चिकित्साधिकारियों को पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

9. प्रमुख सचिव द्वारा प्रदेश में परिवार नियोजन की विधाओं यथा नसबन्दी, आई0यू0सी0डी0, पी0पी0आई0यू0सी0डी0, कण्डोम एवं ओ0सी0पी0 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जनपदों यथा कौशाम्बी, फतेहपुर, श्रावस्ती, गाजीपुर, सिद्वार्थनगर, औरैया, बलिया, कानपुरनगर, हाथरस एवं इटावा के मुख्य चिकित्साधिकारियों पर नाराजगी प्रकट करते हुए निर्देशित किया गया कि जनपद में आशा और ए0एन0एम0 की ब्लाक स्तर पर बैठके आयोजित कराकर परिवार नियोजन सेवाओं के प्रति माहौल बनाना सुनिश्चित करें। साथ ही सर्जन टीम को समय से कैम्प स्थल पर भेजना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)**

10. अपर मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को आगामी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई – पखवाड़े में अधिकाधिक परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)**

11. मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि हौसला साझेदारी कार्यक्रम के तहत जनपदों में प्राईवेट नर्सिंग होम्स द्वारा किये गये नसबन्दी केसेज के भुगतान हेतु पोर्टल पर लाभार्थियों की सूचना अपलोड की गई है। अपलोडेड लाभार्थियों के आधार पर जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी की टीम को 10 प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाना था। भौतिक सत्यापन न करने के कारण जनपद सीतापुर में रू0 95,63,850.00 अधिकतम एवं जनपद जालौन में

रू0 6000.00 न्यूनतम भुगतान लंबित है। इस पर प्रमुख सचिव द्वारा जनपद सीतापुर, लखनऊ, आगरा, चन्दौली, इलाहाबाद, बरेली, कानपुरनगर, वाराणसी, एटा, अमेठी, पीलीभीत, बदायूँ, अलीगढ़, गोण्डा, बाराबंकी, मथुरा, शाहजहाँपुर, बहराईच, उन्नाव, बलिया, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कुशीनगर, जौनपुर, बुलंदशहर, रायबरेली, सिद्वार्थनगर, मेरठ, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, महाराजगंज, गोरखपुर एवं जालौन के मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिनाँक 20 जून 2016 तक जनपद में भौतिक सत्यापन टीम बनाकर पोर्टल से जनरेटेड 10 प्रतिशत लाभार्थियों की सूची का भौतिक सत्यापन कराकर पोर्टल पर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0)**

12. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि हौसला साझेदारी पोर्टल पर इम्पैनेल्ड किये जाने वाले नर्सिंग होम्स/चिकित्सालयों के साथ होने वाले अनुबंध को हस्ताक्षरित कराकर पोर्टल पर अगले दो से तीन दिनों में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

13. प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी इलाहाबाद को हौसला साझेदारी के तहत 12 नर्सिंग होम्स के साथ किये जाने वाले एम0ओ0यू0 को हस्ताक्षरित कराकर दिनाँक 16 जून 2016 तक प्रमुख सचिव को मोबाईल पर सूचित करने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद)

14. अपर मिशन निदेशक द्वारा राज्य स्तर से चयन कर 16 विशेषज्ञ चिकित्सकों की जनपदों में ज्वाईनिंग की जानकारी दी गई। इनमें से मात्र 6 चिकित्सकों द्वारा सीजेरियन प्रसव कराये जाने की सूचना राज्य स्तर पर प्राप्त हुई हैं। अन्य चिकित्सकों द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ0आर0यू0 स्टाफ सहयोग नही दे रहा है। मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कितने सीजेरियन प्रसव कराये गये कि समीक्षा करना प्रारम्भ करे। **(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी)**

15. मिशन निदेशक द्वारा प्रदेश में संविदा पर तैनात 22 विशेषज्ञ चिकित्सकों की परफार्मेंस पर चर्चा की गई। मिशन निदेशक द्वारा समस्त संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माह जून 2016 में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सीजेरियन प्रसव न किये जाने पर संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें समाप्त कर दी जाए। यदि किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को बिना सी–सेक्शन के मानदेय का भुगतान पाया जाता है तो संबंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर0सी0एच0) एवं मुख्य चिकित्साधिकारी से किये गये भुगतान की रिकवरी करा ली जायेगी।
(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मिशन निदेशक)

16. प्रमुख सचिव द्वारा 25 एच0पी0डी0 जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि परफार्मेंस बेस्ड इन्सेन्टिव (पी0बी0आई0 सामान्य प्रसव) की समीक्षा कर संबंधित कर्मियों को इंसेंटिव दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
(कार्यवाही–25 एच0पी0डी0 जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी)

17. अपर मिशन निदेशक द्वारा एस0बी0आर0टी0–सेफ बर्थ रिस्पॉन्स टीम के प्रभावी तरीके से काम न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। किसी भी जनपद में उक्त टीम द्वारा एक भी नवीन एफ0आर0यू0 पर इलेक्टिव/इमरजेंसी सीजेरियन प्रसव नही कराये गये। प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद एवं ब्लाक स्तर पर एस0बी0आर0टी0 दिवसों की सूचना आशाओं तक डी0सी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0 को लगाकर प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित कराया जाये। **(कार्यवाही–समस्त मुख्यचिकित्साधिकारी)**

ABS Singh

18. अपर मिशन निदेशक द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक, आगरा से जिला चिकित्सालय आगरा में तैनात 15 डी0जी0ओ0 द्वारा एक भी नवीन एफ0आर0यू0 में सीजेरियन प्रसव नही कराये जाने पर नाराजगी प्रकट की गई। समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों को चेतावनी दी कि माह जुलाई 2016 में प्रत्येक मण्डल में नवीन एफ0आर0यू0 तैयार कर एस0बी0आर0टी0 टीम से सीजेरियन प्रसव नही कराये गये तो प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की दी जायेगी। **(कार्यवाही–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक)**

19. जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी की भौतिक संख्या एवं पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से किये गये भुगतान की समीक्षा करने पर पाया गया कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में लाभार्थी की भौतिक संख्या की तुलना में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से किये गये भुगतान 50 प्रतिशत से भी अधिक अंतर पाया गया। इसी तरह आशाओं द्वारा लाये गये लाभार्थियों की तुलना में 50 प्रतिशत से कम भुगतान आशाओं को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से किया गया। प्रमुख सचिव द्वारा वित नियंत्रक एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया कि जे0एस0वाई लाभार्थियों के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से किये गये भुगतान एवं आशाओं द्वारा कराये गये प्रसव के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम भुगतान (कमिटेड को भी जोडते हुए) का विश्लेषण कर पत्र प्रमुख सचिव के हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत करें जिसमें उक्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला लेखा प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक का माह जून 2016 का वेतन/मानदेय जे0एस0वाई लाभार्थी/आशा के भुगतान करने तक रोका जाना सुनिश्चित किया जाये।
(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/डी0पी0एम0/डी0ए0एम0)

20. प्रमुख सचिव द्वारा एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर गर्भवती माता के पंजीकरण, नवजात शिशु के पंजीकरण, पूर्ण टीकाकरण आदि सूचकों में जनपद कानपुर नगर की खराब स्थिति पर मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर से सात दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण शासन को भेजने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर)**

21. प्रमुख सचिव द्वारा महाप्रबंधक एम0आई0एस0 को निर्देशित किया गया कि एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम फीडिंग के जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों का स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर से जारी कराना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही–महाप्रबंधक एम0आई0एस0)

22. मिशन निदेशक द्वारा एन0आई0एन0 से संबंधित समस्त सूचना तीन कार्यदिवसों के भीतर एम0आई0एस0 सेल, एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

23. अधिशासी निदेशक–यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर मासिक रिपोर्ट को फीड किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रमुख सचिव द्वारा 01 जून 2016 से जनपद से समस्त रिपोर्ट उक्त पोर्टल के माध्यम से अपलोड किये जाने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

24. प्रमुख सचिव द्वारा 25 जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को एक सप्ताह में न्यूबार्न स्टेब्लाईजेशन यूनिट (NBSU) में स्वीकृत मानव संसाधन एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही दिनाँक 11 से 23 जुलाई 2016 के मध्य (Intensified Diarrhea Control Fortnight (IDCF)) आयोजित करना सुनिश्चित करें। सभी जनपद ओ0आर0एस0 और जिंक की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्यचिकित्साधिकारी)**

25. होम बेस्ड न्यू बोर्न केयर कार्यक्रम(HBNC) में जनपद कुशीनगर, बांदा, बरेली, बाराबंकी, औरैया एवं कानपुरदेहात, चन्दौली, आगरा, फरुखाबाद एवं लखीमपुर में आशाओं द्वारा 2015–16 में भ्रमण किये

गये कुल नवजातों की संख्या के सापेक्ष भुगतान माह मार्च 2016 में काफी कम होने एवं कमिटेड कराये जाने के बावजूद माह मई 2016 तक पूरा भुगतान न किये जाने पर उक्त जनपदों के डी0पी0एम0 एवं डी0सी0पी0एम0 को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक सी0पी0 को दिये। **(कार्यवाही–महाप्रबंधक–सी0पी0)**

26. अपर मिशन निदेशक द्वारा जनपद अलीगढ़, गाजीपुर, हमीरपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर, सिद्वार्थनगर, मथुरा, रायबरेली, अमेठी, संतकबीरनगर एवं पीलीभीत में आशा द्वारा भ्रमण किये गये कुल नवजातों की संख्या 2015–16 की प्रगति से कई गुना अधिक भुगतान पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल द्वारा कर दिये जाने के प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों से कारण जाना गया। मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ ब्लाकों में एक नवजात को चार चार आशाओं द्वारा देखे जाने की जानकारी मिलने पर जाँच कराई जा रही हैं। अपर निदेशक द्वारा उक्त समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भुगतान की जाँच अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डी0सी0पी0एम0 से एक सप्ताह में कराकर विस्तृत जाँच आख्या एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

27. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अधुनान्त ड्यू लिस्ट की उपलब्धता जनपद कासगंज में 16 प्रतिशत, देवरिया एवं महाराजगंज में 19 प्रतिशत, कानपुरदेहात में 23 प्रतिशत मात्र पाये जाने पर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपदों को जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अवगत करायें कि ऐसा क्यों हो रहा हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने ड्यू लिस्ट की उपलबधता के लिए क्या प्रयास किये गये।
(कार्यवाही–राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी)

28. प्रमुख सचिव द्वारा राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी से अपेक्षा की गई कि जनपदीय भ्रमण उपरान्त संबंधित जनपद के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एवं ब्लाक स्तर पर प्रतिरक्षण कार्यो की खराब स्थिति पर संबंधित चिकित्साधिकारियों/कर्मियों के विरूद्व चार्जशीट भी शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी)**

29. प्रदेश के 86 खराब प्रदर्शन करने वाले ब्लाकों की समीक्षा में पाया गया कि जनपद जौनपुर, कुशीनगर, सिद्वार्थनगर, सीतापुर के पॉच पॉच ब्लाकों में प्रतिरक्षण के अनुश्रवण सूचकों की स्थिति अधिक खराब पाई गई। प्रमुख सचिव द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं ए0एन0एम0 से स्पष्टीकरण लेते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**

30. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के तहत चयनित 25 जनपदों में 15 दिनों के भीतर पीयर एजूकेटर का चयन करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

31. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के तहत अनुबंधित वाहन का पंजीकरण टैक्सी परमिट का ही होना चाहिए।
(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

32. प्रमुख सचिव द्वारा दिनॉक 10 अगस्त 2016 को नेशनल डीवर्मिंग डे मनाये जाने हेतु समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिये गये।
(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

33. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आयरन की नीली गोली किशोर एवं किशोरियों को विफ्स कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाये। किसी भी गर्भवती महिला को आयरन की नीली गोली न दी जाये। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

34. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 30 जून 2016 तक समस्त जनपद शहरी आशा का चयन पूरा कराना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

35. राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के तहत माह अप्रैल एवम् मई, 2016 में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर स्कूल आई स्क्रीनिंग के अन्तर्गत 66 जनपदों द्वारा बच्चों को चश्मा वितरण की सूचना शून्य पाये जाने पर प्रमुख सचिव द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों को अतिशीघ्र चश्मा वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**

36. एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों का व्यय संतोषजनक नहीं पाया गया। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम में निर्धारित गतिविधियों को पूर्ण कराते हुए व्यय करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

37. एन0पी0एच0सी0ई0 कार्यक्रम के तहत प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद इटावा, जालौन, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखीमपुर–खीरी को जनपद में जीरियाटिक वार्ड की स्थापना अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।